रिक्ति परिपत्र

"हर काम देश के नाम"

सं. ए/34141/पी–14/मुप्रअ/भर्ती–1

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी कार्यालय

हाल न .1, प्रथम तल ए ,– ब्लॉक

रक्षा कार्यालय परिसर, अफ्रीका एवेन्यु

(नजदीक एस एन बस डिपो) नई दिल्ली -110023

दिनांक : 07 अप्रेल 2022

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिव

विषयः– रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (वायु सेना) में प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) आधार पर आंकडा प्रसंस्करण सहायक के दो पदों को भरा जाना

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निर्दशे हुआ है कि रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (वायु सेना) में प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) आधार पर वेतन मेटिक्स में स्तर–7 में **आंकडा प्रसंस्करण सहायक** (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय) के **दो** पदों को, निम्नलिखित शर्तों पर भरा जाना है :–

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन या लोक क्षेत्र के उपकमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :–

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;

या

(ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन मेटिक्स में स्तर–6 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वहां पांच वर्ष की नियमित सेवा है।

और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :–

क. (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर उपयोजन या कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री या प्रौद्योगिकी में (कम्प्यूटर उपयोजन में विशेषज्ञता) मास्टर डिग्री या इंजीनियरी में बैचलर या कम्प्यूटर इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में बैचलर हो।

या

ख. (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कम्प्यूटर उपयोजन या कम्प्यूटर विज्ञान मे डिग्री या इलैक्ट्रोनिक या इलैक्ट्रोनिक और संचार इंजीनियरी में डिग्री।

पृष्ठ .....2/..

(ZS KOIRENG)

Ministry of Defence, New Delhi-110011

(ii) इलैक्ट्रोनिक आंकड़ा प्रसंस्करण कार्य में दो वर्ष का अनुभव जिसके अंतर्गत सही प्रोग्रामिंग का अनुभव भी शामिल है।

या

(ग) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इंजिनियरी में डिग्री।

(ii) इलैक्ट्रोनिक आंकड़ा प्रसंस्करण कार्य में तीन वर्ष का अनुभव जिसके अंतर्गत सही प्रोग्रामिंग का अनुभव भी शामिल हो।

या

(घ) (i) इलैक्ट्रोनिक और प्रत्यायन विभाग के अधीन कम्प्यूटर कक्षा प्रोग्राम का 'ए' स्तर का डिप्लोमा या अखिल भारतीय या राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा कम्प्यूटर उपयोजन में प्रदत्त विश्वविद्यालय प्रोग्राम के अधीन प्रस्थापित कम्प्यूटर उपयोजन में पोस्ट ग्रेजूएट डिप्लोमा या कम्प्यूटर उपयोजन में पोस्ट पोलीटेकनीक डिप्लोमा।

(ii) इलैक्ट्रोनिक आंकड़ा प्रसंस्करण में तीन वर्ष का अनुभव जिसके अंतर्गत सही प्रोग्रामिंग का अनुभव भी शामिल हो।

2. कार्य विवरणिका : प्रणाली विश्लेषण प्रोग्रामिंग में सहयोग तथा आंकडा संगठन, आंकडा संग्रहण, समाकलन, प्रमाणीकरण, कूट संकेत, प्रसंस्करण और सभी प्रकार के आंकडों के प्रारूपों के अनुरक्षण सहित अल्फा संख्यात्मक, मूलपाठ विषयक, ग्राफिक, वॉयस एवं ऑप्टिकल तथा किसी भी प्रकार की ई डी पी मशीन/कंप्यूटर/कंप्यूटर आधारित उपस्कर/कंप्यूटर आधारित उपकरण/कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन अथवा रियल टाइम प्रणाली/कंप्यूटर नेटवर्क आधारित प्रणालियां आदि का संचालन समेत सूचना प्रणालियां तथा उनके डाटाबेस, संक्रिया और विश्लेषण के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में सहयोग करना। योजना में सहयोग, अंतःसंबंधित तथा समेकित आंकडा प्रसंस्करण का समन्वय कार्यान्वयन करना और वांछित अभियोग्यता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्व कुछेक कर्मचारियों के लिए तथा आवश्यकता पडने पर अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए तथा आवश्यकता पडने पर अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का प्रर्यवेक्षण।

3. पोषक प्रवर्ग के ऐसे अधिकारी, जो प्रोन्नति के सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

4. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहृय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार/तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

5. प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 01

पृष्ठ ....3/.

07-04-2022

(ZS KOIRENG)
Ministry of Defence, New Delhi-110011

जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां वह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी का ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 6/8/2009-Estt(Pay II) दिनांक 17–6–2010 एवं इसके अनुवर्ती संशोधनों, यदि कोई हो, के अनुसार होगी।

6. अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र में ऐसे अधिकारियों जिन्हें चयन होने की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सके के आवेदनपत्र (दो प्रतियों में) पूर्ण एवं अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोसियरों अथवा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो /ए पी ए आर की फोटोप्रतियों सहित (जो कम से कम अवर सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र सहित (उप सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित) इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर इस कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए । देरी से पहुँचने वाले, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो/ए पी ए आर, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र,संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की अनापत्ति (कैडर क्लीयरेंस), सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र के बगैर अथवा किसी अन्य प्रकार से अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा । आवेदन अग्रेषित करते समय संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा यह सत्यापित एवं प्रमाणित किया जाना चाहिए कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है एवं उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता संबंधी मामला लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है । यह भी प्रमाणित किया जाएगा कि अधिकारी की ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा संतोषजनक है एवं पिछले 10 वर्षों में उस पर कोई बड़ा/छोटा जुर्माना नहीं लगाया गया हे ।

7. जीवनवृत्त का प्रारूप पत्र हमारी वेबसाइट www.caomod.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

टिप्पणी :– पद के लिए एक बार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

भवदीय,

(जेड एस कोईरेंग)
उप निदेशक, मुप्रअ/भर्ती–1 एवं 3
कृते संयुक्त सचिव एवं मुप्रअ

प्रतिलिपि :–

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) के सभी समन्वय अनुभाग
डी पी ओ/ए ओ पी शाखा, एकीकृत मुख्यालय–रक्षा मंत्रालय (वायुसेना)
डी ओ पी/सी ओ पी, कार्मिक निदेशालय, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना)
अंतर सेवा संगठनों के सभी समन्वय अनुभाग
सं.सचिव एवं मुप्रअ कार्यालय के सभी अनुभाग
मु प्र अ/का– 2 – सूचनार्थ
मुप्रअ/ई डी पी : मुप्रअ कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतू ।

VACANCY CIRCULAR

"Har Kaam Desh Ke Naam"

No A/34141/P-14/CAO/R-I

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
OFFICE OF JOINT SECRETARY & CAO

Hall No. 1, 1st Floor, 'A' - BLOCK
Defence Offices Complex, Africa Avenue
(Near S.N. Depot), New Delhi – 110 023
Dated : 07 Apr 2022

All the Ministries/Deptts of Govt. of India.
All the Chief Secretaries of State Governments & Union Territories

SUB: **FILLING UP OF TWO (02) VACANCIES IN THE GRADE OF DATA PROCESSING ASSISTANT IN INTEGRATED HEADQUARTERS OF MINISTRY OF DEFENCE (AIR) ON DEPUTATION (INCLUDING SHORT TERM CONTRACT)**

Sir/Madam,

I am directed to state that **Two** vacancies in the grade of Data Processing Assistant (General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial) in the Pay Level-7 in Pay Matrix, are required to be filled in Integrated Headquarters of Ministry of Defence(Air) on deputation (including short term contract) on the following conditions : -

Deputation (Including Short Term Contract) :

Officers under the Central Government or State Government or Union Territory Administration or Universities or recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations:-

(A)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;

OR

(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 6 in the Pay Matrix in the parent cadre or department.

AND

(B) possessing the following educational qualifications and experience :

A (i) Master's Degree in Computer Applications or Computer science or Master of Technology with specialization in Computer Applications or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in computer engineering or computer science or computer technology from a recognized University or Institution.

OR

contd…2./-

(KOIRENG)
... New Delhi-110011

B (i) Degree in Computer Applications or Computer Science or Degree in Electronics or Electronics and Communications Engineering from a recognized University or Institution.

(ii) Two years experience in electronic data processing work including experience in actual programming.

OR

C (i) Master's Degree of a recognized University or Institution or Degree in Engineering of a recognized University or Institution.

(ii) Three years experience in electronic data processing work including experience in actual programming.

OR

D (i) 'A' level diploma under Department of Electronics and Accreditation of Computer Classes programme or Post Graduate Diploma in Computer Application offered under University programme or Post Polytechnic Diploma in Computer Application awarded by All India or State Council of Technical Education.

(ii) Three years experience in Electronic Data Processing work including experience in actual programming.

2. Job Profile : Assistance in the design, development and implementation of information systems and Database, operation and analysis thereon, including assistance to system analysis programming, and data organisation, data collection, collation, validation, coding, processing and maintenance of all forms of data including alpha-numerical, textual, graphic, voice and optical and operation of any type of EDP machine/computer/computer - based equipment/computer-based instrument/computer-based online or real time systems/computer network based systems etc. Assistance to the planning, scheduling coordination and implementation of inter-related and integrated Data Processing, and for a few staff who are determined to have the required aptitude and depending upon the need, supervision of the work of subordinate staff.

3. The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

4. Period of Deputation (including short-term contract) including period of Deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by Deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.

5. For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (the date from which

KHKoireng
07-04.2022

(... KOIRENG)
Ministry of Defence, New Delhi-110011

contd...3./-

the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. The appointment on deputation shall be governed by DOP&T OM No. 6/8/2009-Estt. (Pay-II) dt 17 Jun 2010 and its subsequent amendments, if any.

6. It is requested that the applications (in duplicate) in the enclosed proforma along with the complete and up-to-date CR dossiers or photocopies of ACRs/APARs of last five years(duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary) and Integrity Certificate (duly verified by an officer not below the rank of Deputy Secretary) of the officers who could be spared in the event of their selection may be sent so as to reach this office within **60** days of the date of publication of this advertisement in the Employment News. **Applications received late or without the ACRs/APARs, Integrity Certificate, Cadre Clearance and Vigilance Clearance or otherwise found incomplete will not be considered.** While forwarding the applications, it may be verified and certified by the Cadre Controlling Authority that the particulars furnished by the officer are correct and that no disciplinary/vigilance case is pending or contemplated against the officer. It must also be certified that honesty and integrity of the officer is satisfactory and no major/minor penalty has been awarded to him during the last 10 years.

7. The Curriculum Vitae proforma can be downloaded from our website www.caomod.nic.in

NOTE : CANDIDATES WHO ONCE APPLY FOR THE POST WILL NOT BE ALLOWED TO WITHDRAW THEIR CANDIDATURE.

Yours faithfully

(Z S Koireng)
Deputy Director
CAO/R-I & R-III
For JS & CAO

COPY TO:
All Coord Sections of Integrated HQ of MoD (Army)
DPO/AOP Branch, Integrated HQ of MoD(Air)
DOP/COP Branch , Integrated HQ of MoD (Navy)
All Coord Section of IS Orgns
All Sections in the Office of JS & CAO
CAO/P-2

"हर काम देश के नाम"

रिक्ति परिपत्र

सं. ए/49812/डी-1/मुप्रअ/भर्ती-1

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी कार्यालय

हाल न.1, प्रथम तल, ए-ब्लॉक
रक्षा कार्यालय परिसर, अफ्रीका एवेन्यु
(नजदीक एस एन बस डिपो) नई दिल्ली – 110023
दिनांक : 29 मार्च 2022

विषय:- रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना), रक्षा कर्मचारी वृंद मुख्यालय, सिगनल आसूचना निदेशालय में निदेशक सिगनल आसूचना (अनुसंधान) के 01 रिक्त पद को भरे जाने हेतु ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तो पर, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय, (सेना) मुख्यालय, सिगनल आसूचना निदेशालय में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 में निदेशक सिगनल आसूचना (अनुसंधान) (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह - क, राजपत्रित, अननुसचिवीय) के एक पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर एक वर्ष के लिए भरा जाना है :-

प्रतिनियुक्ति :

भारतीय नो सेना और भारतीय वायु सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे ऊपर की या समतुल्य पंक्ति के ऐसे सशस्त्र बल कार्मिक जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव है :-

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्विधालय से गणित या विज्ञान (इलैक्ट्रानिक्स) या कम्पयूटर विज्ञान या कम्पयूटर कार्यक्रमण में डिग्री या समतुल्यः

(ख) सिगनल कोर में बीजलेख अधिकारी के रूप में कम से कम सात वर्ष की नियमित सेवा ;

(ग) दूरसंचार इंजीनियरी सैनिक महाविधालय, मउ में इलैक्ट्रानिक्स आंकडा प्रकमण या कार्यक्रमण पाठयक्रमक में एडवांस डिप्लोमा में अर्हता अवश्य प्राप्त की हो या किसी मान्यताप्राप्त विश्विधालय या संस्थान से कम्पयूटर कार्यक्रमण में डिप्लोमा हो।

2. कार्य रूपरेखा : निदेशक सिगनल आसूचना (अनुसंधान) के पद हेतु नियत किए गए कर्तव्यों का संक्षिप्त ब्योरा इस प्रकार है:

(क) सिगनल आसूचना निदेशालय द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार समस्याओं से संबंधित संक्रिया अनुसंधान कार्य तथा उनके शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना और उनका समुपयोजन ।

(ख) सिगनल आसूचना निदेशालय के हित से संबंधित सम्स्याओं पर मौलिक अनुसंधान तथा संक्रिया और अनुसंधान की सहायता हेतु कंप्यूटरीकरण कार्यविधियों को तैयार करना ।

(ग) अपने अधीन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण की देखरेख करना तथा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

(घ) अपने अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके संक्रिया तथा मौलिक अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन करना ।

(च) अनुसंधान विंग की सम्पूर्ण सुरक्षा, देखरेख तथा प्रशासन ।

3. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधी, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधी है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 6/8/2009-Estt(PayII) दिनांक 17-6-2010 एंव इसके अनुवर्ती संशोधनों, यदि कोई हो, के अनुसार होगी।

5. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है. नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

6. अनुरोध है की संलग्न प्रपत्र में ऐसे अधिकारियों जिन्हें चयन होने की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सके के आवेदनपत्र (दो प्रतियों में) पिछले पाँच वर्षो के पूर्ण एवं अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोसियरों अथवा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टे/ ए पी ए आर की फोटोप्रतियों सहित (जो कम से कम अवर सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित) सत्यानिष्ठा प्रमाणपत्र सहित (उप सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत् रुप से सत्यापित) इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर इस कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए। देरी से पहुँचने वाले, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो/ ए पी ए आर, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की अनापत्ति (कैडर कलीयरेंस), सर्तकता अनापत्ति प्रमाण पत्र के बगैर अथवा किसी अन्य प्रकार से अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन अग्रेषित करते समय संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा यह सत्यापित एवं प्रमाणित किया जाना चाहिए की अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है एंव उनके खिलाफ कोई अनुशासनिक/सतर्कता संबंधी मामला लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है। यह भी प्रमाणित किया जाअगा कि अधिकारी की ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा संतोषजनक है एवं पिछले 10 वर्षो में उस पर कोई बड़ा/छोटा जुर्माना नहीं लगाया गया है।

7. जीवनवृत्त का प्रारूप हमारी वेबसाइट **www.caomod.nic.in** से प्राप्त किया जा सकता है।

टिप्पणी :- पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों तो अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

भवदीय,

(जेड एस कोईरेंग)
उप निदेशक, मुप्रअ/ भर्ती-1 एंव 3
कृते संयुक्त सचिव एवं मुप्रअ

प्रतिचालन :-

एम एस (सिगनल), एम एस शाखा, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना)
जी एस शाखा, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना)
डी पी ओ/ ए ओ पी शाखा, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (वायुसेना)
डी ओ पी/ सी ओ पी शाखा, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्लायल (नौसेना)
मुप्रअ/का-2 - सूचनार्थ